न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/225

दुर्गालाल आत्मज़ स्वर्गीय कजोड़ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी(राज0)

– अपीलांट

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज स्व0 कजोड जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी(राज0)।
2. कैलाश आत्मज स्व0 कजोड जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी(राज0)।
3. प्रेमबाई पुत्री स्व0 कजोड जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी(राज0) हाल निवासी ग्राम बन्धा का खेड़ा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 मृतक जर्ये कायम मुकामान–

3/1. देवराज आत्मज देवीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बन्धा का खेडा पोस्ट अबड तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

3/2. अनुसूईया शर्मा पुत्री देवीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बन्धा का खेडा पोस्ट अबड तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

3/3. लालीबाई पत्नि दुर्गालाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पोस्ट जलिन्द्री बिजोलिया जिला भीलवाडा राज0।

3/4 बरजी बाई पत्नी शंभूलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम व पोस्ट माल का खेड़ा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ राज0।

3/5. मंजू बाई पत्नि दिनेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम माल का खेड़ा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा राज0।

3/6. लीलाबाई पत्नि राजेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम माजी साहब का खेड़ा तहसील व पोस्ट बिजोलिया जिला भीलवाडा राज0।

3/7. छोटा बाई पत्नि दिनेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नेगढ़ पोस्ट अबड तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी राज0।

3/8. निर्मला पत्नि दुर्गेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महुआ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडाराज0।

3/9. सुशीलाल पत्नि बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खेरूणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राज0।

4. पार्वती पुत्री स्व0 कजोड पत्नि जगदीश प्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम खटियाड़ी तहसील व जिला बून्दी(राज0)।
5. भोलाशंकर आत्मज स्प0 रामलक्ष्मण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी(राज0)।
6. रमेश आत्मज स्व0 रामलक्ष्मण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी(राज0)।
7. घासी आत्मज स्व0 रामलक्ष्मण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी(राज0)।
8. शीला पुत्री स्व0 रामलक्ष्मण पत्नि महावीर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी हाल निवास ग्राम बामणगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
9. राजेश पुत्री स्व0 रामलक्ष्मण पत्नि विनोद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी हाल निवास ग्राम सांदडी तहसील तोलड़ा जिला बून्दी(राज0)।
10. छोटा पुत्री स्व0 रामलक्ष्मण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी (राज0)।
11. मोना पुत्री स्व0 रामलक्ष्मण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी (राज0)।
12. कंचन बेवा स्व0 रामलक्ष्मण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी (राज0)।
13. दुर्गालाल आत्मज स्व0 मूलचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी हाल निवास ब्राहम्णो की झोपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
14. शान्ति पुत्री स्व0 मूलचन्द पत्नि महावीर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी हाल निवास ग्राम मंगाल तहसील व जिला बून्दी(राज0)।

15. शीला पुत्री स्व0 मूलचन्द पत्नि श्री राधावल्लभ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी हाल निवास ग्राम सीन्ता तहसील व जिला बून्दी(राज0)।
16. चन्द्रकला पुत्री मूलचन्द पत्नि महावीर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी हाल निवास ग्राम सीन्ता तहसील व जिला बून्दी(राज0)।
17. बिरधीलाल आत्मज स्व0 उदयलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी जर्ये विधिक वारिसान–

17/1. भोलाशंकर आत्मज स्व0 बिरधीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी हाल निवास ग्राम छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी राज0।

17/2. लोकेश आत्मज स्व0 बिरधीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी हाल निवास ग्राम छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी राज0।

17/3. नरेश आत्मज स्व0 बिरधीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी हाल निवास ग्राम छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी राज0।

17/4. घीसीबाई बेवा स्व0 बिरधीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी हाल निवास ग्राम छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी राज0।

18. सूरजमल आत्मज स्व0 उदयलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी हाल निवास एक्सीस बैंक के सामने वाली गली गुरूनानक कॉलोनी बून्दी राज0।
19. राजमल आत्मज स्व0 उदयलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी राज0।
20. मोहनलाल आत्मज स्व0 उदयलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी राज0।
21. श्योजीलाल आत्मज स्व0 मांगीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी राज0।
22. लालू आत्मज स्व0 कल्याण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी राज0 जर्ये विधिक वारिसान–

22/1. प्रभूलाल आत्मज स्व0 लालू जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी हाल निवास ग्राम छत्रपुरा बून्दी तहसील व जिला बून्दी राज0।

22/2. रामहेत आत्मज स्व0 लालू जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी राज0।

23. सूरजमल आत्मज स्व0 बालू जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी राज0।

24. छोटूलाल आत्मज स्व0 लालू जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली थाना बसोली जिला बून्दी राज0।

25. तहसीलदार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)।

26. उप पंजीयक अधिकारी उप पंजीयक कार्यालय हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). श्री महावीर प्रसाद बैरवा– अधिवक्ता अपीलांट

निर्णय **दिनांक 15.09.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 24/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 20.07.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि यहकि कृषि भूमि खाता संख्या नया 120 पुराना 11 खसरा संख्या 592 रकबा 1 बीघा, खसरा संख्या 594 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 595 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्य 597 रकबा 18 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, कृषि भूमि खाता संख्या नया 121 पुराना 12 खसरा संख्या 621 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 622 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 623 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 624 रकबा 3 बिस्वा खसरा संख्या 625 रकबा 04 बिरवा, खसरा संख्या 626 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल खसरा संख्या 6 बीघा 7 विस्वा कृषि भूमि खाता संख्या नया 122 पुराना 13 खसरा संख्या 596 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा, खसरा संख्या 613 रकबा 2 बीघा 02 विस्वा, खसरा संख्या 614 रकबा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 615 रकबा 02 विस्वा, खसरा संख्या 617 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 638 रकबा 2 बीघा कुल खरारा 6 कुल रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि खाता संख्या नया

12 पुराना 10 खसरा संख्या 618 रकबा 07 बिस्वा कुल खसरा 1 कुल रकबा 07 बिस्वा वाके ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है। उक्त वर्णित विवादित आराजीयात में वादी एवं – प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 24 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं। मृतक कजोड एवं कालू दोनो आपस में सगे भाई थे तथा कजोड जी के देहान्त के पश्चात उनके वारिसान चार पुत्र कमश मांगीलाल, दुर्गालाल, कैलाश, रामलक्ष्मण, तीन पुत्रियों कमश प्रेम, पार्वती, नर्मदा है जिनमें से रामलक्ष्मण व नर्मदा का देहान्त हो चुका है एवं उनमें मृतक रामलक्ष्मण के वारिसान में तीन पुत्र गोलाशंकर, रमेश, घासी, चार पुत्रियों क्रमश शीला, राजेश, छोटा, मोना, एवं बेवा कंचनबाई तथा मृतक नर्मदा के वारिसान में एक पुत्र दुर्गालाल, तीन पुत्रियों कमश शान्ति, शीला, चन्द्रकला हैं। चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि रकबा 05 बीघा 8 बिस्वा, कृषि भूमि रकवा 06 बीघा 07 बिस्वा, कृषि भूमि रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा को कजोड जी के चारों पुत्र व उनके वारिसान अपीलाण्ट एवं रेस्पोन्डेण्ट संख्या 1 लगायत 12 ने मोके पर पारिवारिक बटवारा करके बराबर–बराबर हिस्सा 1/4–1/4 में विगत 50 वर्षों से काश्त करते चले आ रहे हैं। खसरा संख्या 618 रकबा 07 बिस्वा में विस्थित कुआ का उपयोग सभी काश्तकार अपने–अपने हिस्से के अनुसार सिंचाई कार्य हेतु करते चलें आ रहें । खसरा संख्या 618 में खातेदार लक्ष्मण आत्मज श्री महादेवा, माना आत्मज श्री गिरधारी, मंगल, काशीनाथ, विश्वनाथ पिसरान गणेशराम, रामकन्या बेवा माधोलाल, नारायण आत्मज श्री ग्यारसीराम, धूली बेवा गोपाल का देहान्त हो चुका हैं। खातेदार लक्ष्मण, माना, मंगल, काशीनाथ, विश्वनाथ, रामकन्या, धूली बिना विधिक वारिसान के फोत हो चुके है तथा मृतक नारायण के एक गोद पुत्र बालू जी थे जिनका भी देहान्त हो चुका हैं तथा उनके जीवित वारिसान अप्रार्थी संख्या 24,25 सूरजमल, छोटूलाल हैं। चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या नया 120 पुराना 11 खसरा संख्या 592 रकबा 1 बीघा, खसरा संख्या 594 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा खसरा संख्या 595 रकवा 2 बीघा, खसरा संख्य 597 रकबा 18 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा गें मृतक कजोड जी का 1/2 व मृतक कालू जी का 1/2 हिस्सा, कृषि भूमि खाता संख्या नया 121 पुराना 12 खसरा संख्या 621 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 622 रकबा 15 बिस्वा खसरा संख्या 623 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 624 रकबा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 625 रकबा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 626 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल खसरा संख्या 6 बीघा 7 विस्वा में मृतक कजोड जी का 1/2 व मृतक कालू जी का 1/2 हिस्सा, कृषि भूमि खाता संख्या नया 122 पुराना 13 खसरा संख्या 596 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 613 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 614 रकबा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 615 रकबा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 617 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 638 रकबा 2 बीघा कुल खसरा 6 कुल रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा में मृतक कजोड जी का 1/4 व मृतक कालू जी का 1/4 हिस्सा, कृषि भूमि खाता संख्या नया 12 पुराना 10 खसरा संख्या 618 रकबा 07 बिस्वा कुल खसरा 1 कुल रकबा 07 बिस्वा में 1/4 हिस्से में से मृतक कजोड जी का 1/3 व मृतक कालू जी का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार निहित हैं। विवादित भूमि के

सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 21 – श्योजीलाल आत्मज श्री मांगीलाल, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान ने के०सी०सी० लोन प्राप्त करने हेतु धारा 6 (1) का प्रारूप बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया और श्योजीलाल के पक्ष में के०सी०सी० लोन स्वीकृत किया गया। श्योजीलाल द्वारा खातेदार कालू आत्मज श्री गेन्दीलाल के साथ धोखाधडी करतें हुए फर्जी दस्तावेज तैयार करके बख्शीशनामा हकत्याग पत्र अपने नाम निष्पादित करवाकर उसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि कालू जी ने अपनी स्वैच्छा से श्योजीलाल के पक्ष में कोई बख्शीशनामा या हकत्याग पत्र निष्पादित नहीं किया और कालू जी ने उक्त कृषि भूमि में अपने हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि को अपने बड़े भाई कजोड के चारों पुत्रों मांगीलाल, दुर्गालाल, कैलाश, रामलक्ष्मण को बराबर–बराबर चार हिस्सों में दिया हैं जिसके सम्बन्ध में दिनांक 13.07.2014 को कालू जी द्वारा पारिवारिक समझौता पत्र भी लिखा गया और कालू जी के हिस्से की जमीन पर वर्तमान में गांगीलाल, दुर्गालाल, कैलाश, रामलक्ष्मण काबिज काश्त है। रामलक्ष्मण जी का देहान्त हो चुका है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान काबिज काश्त चले आ रहे हैं। श्योजीलाल ने उक्त कृषि भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में हल्का पटवारी के साथ मिलीभगत करके गलत रिपोर्ट तैयार करवाई और तथ्यों को छिपाकर बैंक से के०सी०सी० लोन प्राप्त कर राशि को हडपने का प्रयास किया। प्रतिवादी कैलाश ने इस सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता की ओर से एक लिगल नोटिस जये डाक दिनांक 17.02.2017 को श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली, श्रीमान् उप पंजीयक अधिकारी हिण्डोली, श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय बून्दी को भिजवाया। उक्त सन्दर्भ में वादी दुर्गालाल की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2017 को श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक – ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बाईपास रोड, बून्दी राजस्थान के समक्ष व्यक्तिगत रूप से एवं कोरियर से भिजवाई किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद भी जयें नामान्तकरण संख्या 804 दिनांक 21.02.2017 से राजस्व रिकॉर्ड में श्योजीलाल के हिस्से की कृषि भूमि को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बाईपास रोड बून्दी के मु०वि०क० दर्ज कर दिया गया। जिस पर वादी एवं उसके परिजनों ने इस सम्बन्ध में बैंक प्रशासन से शिकायत की तो बैंक प्रशासन द्वारा वादी व उसके परिजनों के साथ अभ्रतापूर्ण व्यवहार किया और झूठे मुकदमों में जेल भिजवा देने की धमकिया दी गई तथा कहा गया कि हम तो लोन की राशि श्योजीलाल को देकर रहेगें तुम्हारे मर्जी में आये जो कानूनी कार्यवाही करों । श्योजीलाल द्वारा जिस भूमि को मिलीभगत करके अपने नाम पर लिया गया हैं उस भूमि पर श्योजीलाल द्वारा कभी भी कब्जा काश्त नही किया गया है और आज भी उक्त भूमि पर मृतक कालू की इच्छानुसार उनके भाई कजोड के चारों हैं। पुत्र काबिज काश्त है। वादी दुर्गालाल की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2017 को शाखा प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बाईपास रोड बून्दी को तथा प्रतिलिपी सूचनार्थ श्रीमान् महाप्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर राजस्थान, श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, बून्दी राजस्थान, श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान को भेजकर निवेदन किया कि श्योजीलाल के पक्ष में लोन राशि जारी न की जावें और राजस्व रिकॉर्ड में से

श्योजीलाल के पक्ष में लगाया गया मु०वि०क० का नोट हटाया जायें। मृतक कालू जी ने अपनी स्वैच्छा से श्योजीलाल के पक्ष में कोई बख्शीशनामा या हकत्याग पत्र का निष्पादन नही किया और श्योजीलाल ने कालू जी के साथ धोखाधडी करके फर्जी दस्तावेज तैयार करवा कर उनका पंजीयन दिनांक 12.08.2016 को पंजीयन कार्यालय हिण्डोली के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके अपने पक्ष में पंजीयन करवा लिया तथा राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि इस बात की जानकारी होने पर दिनांक 14.02.2017 को कालू जी ने 500/– रूपये के एक नॉन ज्युडिश्यल स्टाम्प पर एक इकरारनामा निष्पादित किया जिसमे कालू जी ने कहा है कि उनके हिस्से की भूमि को कजोड जी के चारों पुत्र बराबर–बराबर हिस्से में काश्त करेगें तथा श्योजीलाल ने धोखे से उनसे दस्तावेज तैयार करवायें हैं। कालू जी का दिनांक 22.02.2017 को देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी श्योजीलाल ने कालू जी के साथ धोखाधडी करते हुये उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर उनके हिस्से की कृषि भूमि को षडयन्त्र करके अपने नाम करवा लिया हैं तथा उक्त भूमि पर के०सी०सी० का लोन प्राप्त करके लोन राशि को हडप जाना चाहता हैं तथा उक्त भूमि को भारग्रस्त कर दिया है जबकि उक्त भूमि पर श्योजीलाल का कभी कब्जा भी नही रहा हैं तथा न ही वर्तमान में कब्जा हैं एवं के०सी०सी० के लोन को जारी करने हेतु भूमि पर काश्तकार का कब्जा आवश्यक रूप से होना चाहिए एवं कब्जे के सम्बन्ध मे रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जाती हैं। अप्रार्थी श्योजीलाल का उक्त कृत्य आपराधिक श्रेणी में आता हैं तथा उसके इस आपराधिक कृत्य में अन्य जिम्मेदार लोगो ने भी उसका सहयोग किया हैं। वादी को जानकारी होने के बाद वादी ने कानूनी कार्यवाही करतें हुये दिनांक 14.03.2017 को एक लिखित रिपोर्ट जयें कोरियर श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बून्दी को भिजवाई गयीं। प्रतिवादी श्योजीलाल ने ग्राम पंचायत गुढा के साथ मिलीभगत करके अवैध बख्शीशनामा के आधार पर वरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में नामान्तरण संख्या 800 दर्ज करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। ग्राम पंचायत गुढा ने भी चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के सहखातेदारों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरण दर्ज कर कानूनी प्रावधानों की अवहेलना की है। ग्राम पंचायत गुढा का उक्त नागान्तरण विधि सम्मत नही होने से अवैध होने के कारण खारिज होने योग्य है। नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व ग्राम पंचायत का यह विधिक दायित्व था कि वह सभी राहखातेदारो को सुनवाई के लिए बुलाती और यदि किसी खातेदार को कोई आपत्ति होती तो उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपना निर्णय पारित करती किन्तु ग्राम पंचायत की ओर से ऐसे विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। वादी ने उक्त नामान्तरण संख्या 800 को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत गुढा के चक्कर लगायें और काफी चक्कर लगाने के पश्चात् वादी को दिनांक 16.03.2017 को तहसील कार्यालय हिण्डोली से वादी को उक्त नामान्तरण संख्या 800 की नकल जारी की गई है। वादी की ओर से एक अपील माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय बून्दी के यहाँ पर नामान्तरण निरस्त किये जाने हेतु पेश कर दी गई हैं । प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार वादी को अधिकार प्राप्त हैं कि वह वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध

में मृतक कालू जी द्वारा अपने जीवनकाल में निष्पादित दस्तावेजो दिनांक 13.07.2014 व दिनांक 14.02.2017 के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी कम संख्या 1 लगायत 12 को मृतक कालू जी ईच्छा के अनुसार 1/4–1/4 कृषि भूमि का खातेदारी अधिकार घोषित करवाकर उसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में बटवारा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड मे तदनुसार अंकन करवायें एवं प्रतिवादी कम संख्या 21 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध करवायें की वह वादी के वादपत्र की चरण संख्या में वर्णित कृषि भूमि के उपयोग एवं उपभोग किसी भी प्रकार की कोई बाधा कारित कर वादी को उक्त कृषि भूमि से बेदखल नही करें। वादी को अधिकार प्राप्त हैं कि यदि प्रतिवादी कम संख्या 21 वाद के विचारण के दौरान वादी का उक्त कृषि भूमि से अवैध रूप से बेदखल करने में सफल हो गया तो जर्ये आदेशात्मक आज्ञा से वादी उक्त कृषि भूमि का कब्जा प्रतिवादी से पुनः प्राप्त करें। वाद कारण दिनांक 13.02.2017 से ग्राम गुढा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से चला आ रहा है जब बादी को यह ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी श्योजीलाल ने मृतक कालू जी के साथ धोखाधडी करते हुए फर्जी दस्तावेज बख्शीशनागा तैयार करवा कर उसका पंजीयन करवा लिया है और उसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा कर कृषि भूमि पर के०सी०सी० को लोन लेकर उसको भार ग्रस्त कर दिया है। प्रतिवादी श्योजीलाल मृतक कालू जी के साथ घोखाधडी के आधार पर तैयार करवाये गये अवैध बख्शीशनामा के आधार पर किसी भी प्रकार के विधिक अधिकार को प्राप्त करने का कानूनन रूप से अधिकारी नहीं हैं तथा श्योजीलाल द्वारा तैयार करवाया गया उक्त अवैध बख्शीशनामा प्रारम्भ से शून्य होने के कारण निरस्तनीय योग्य हैं। विपक्षी श्योजीलाल द्वारा मृतक कालू जी के हिस्से एवं खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि को कालू जी के साथ घोखाधडी करके अपने नाम पर करवा लिया गया जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 13.02.2017 को हुई जिस प्रार्थी ने नेट के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी की नकल प्राप्त कर अवलोकन किया तो प्रार्थी को श्योजीलाल द्वारा किये गये उक्त कृत्य की जानकारी हो सकी कि श्योजीलाल ने जर्ये नामान्तरण संख्या 800 से राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया हैं जिस पर प्रार्थी ने खातेदार श्री कालू जी से सम्पर्क कर इस बारे में जानकारी की तो उन्होने प्रार्थी को बताया कि उन्होंने श्योजीलाल के पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई बख्शीशनामा निष्पादित नहीं किया हैं और यदि श्योजीलाल द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज बनाया गया हैं तो वह धोखाधडी करके बनाया गया हैं जिस पर श्री कालू जी ने दिनांक 14.02.2017 को 500/– रूपये के नोन ज्युडिश्यल स्टाम्प पर एक इकरारनामा निष्पादित किया। दिनांक 22.02.2017 को श्री कालू जी का देहान्त हो गया तथा प्रार्थी अपने परिवार सहित उनके अन्तिम संस्कार के कार्यक्रम में व्यस्त हो गया और कालू जी की मृत्यु के पश्चात् उनकी पगडी प्रार्थी के बांधी गयी। प्रार्थी ने श्योजीलाल द्वारा खुलवायें गये उक्त इन्तकाल को प्राप्त करने के लिए पंचायत गुढ़ा के चक्कर लगाये तथा प्रार्थी को दिनांक 16.03.2017 को नागान्तरण संख्या 800 की नकल एवं राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की। वादी की ओर से यह वाद पत्र अभिधृति के रूप में पेश किया गया है तथा बादी की ओर से अभिधृति से सम्बन्धीत विधिक अधिकारों की मांग की गयी है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में मुख्य अनुतोष

राजस्व से सम्बन्धीत हैं। वाद कारण दिनांक 13.02.2017 से ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान में उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से चला आ रहा है। वादी द्वारा अपने वादपत्र में राज्य सरकार एवं उसके प्रतिनिधियों को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। वादी द्वारा अपना वादपत्र धारा 80 दी०प्र०सं० के अन्तर्गत विधिक नोटिस दिये बिना पेश किया जा रहा है क्योकि वादी की ओर से धारा 80 दी०प्र०सं० के प्रावधानों की अनुपालना में लिगल नोटिस दिया जाता है तो प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द भारग्रस्त या हस्तान्तरित कर देगे जिससे वादी का वादपत्र प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेंगा और अनावश्यक रूप से बाद की बाहुल्यता बढेगी व विधिक प्रकिया का दुरूपयोग होगा। वादी की ओर से धारा 80 (2) दी०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया जा रहा हैं। वादी की प्रमुख रूप से अनुतोष की मांग प्रतिवादीकम संख्या 1 लगायत 12 व प्रतिवादी कम संख्या 21 के विरूद्ध हैं। वादी अपने वाद अधिकार घोषणा के लिए 400, स्थायी निषेधाज्ञा के बाद के लिए 400, बटवारा कृषि भूमि के लिए 400, आदेशात्मक आज्ञा के लिए 400 रूपयें कुल 1600 रूपयें निर्धारित कर नियमानुसार कोर्ट फीस एवं तलवाना पर अपना वाद सुनवाई हेतु पेश कर रहा हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्नलिखित आशय की डिकी पारित किए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें । साथ ही वादी का वादपत्र स्वीकार करमाकर वादपत्र की चरण संख्या में वर्णित कृषि भूमि में मृतक कालू जी के स्वागित्व, खातेदारी अधिकार की सम्पूर्ण कृषि भूमि में कब्जे काश्त, कालू जी द्वारा निष्पादित किये गये दस्तावेज दिनांक 13.07. 2014 व दिनांक 14.02. 2017 के आधार पर बादी को 1/4. प्रतिवादी कम संख्या 1 को 1/4, प्रतिवादी कम संख्या 2 को 1–4 प्रतिवादी कम संख्या 5 लगायत 12 को 1/4 कृषि भूमि का खातेदार घोषित कर अधिकार घोषणा की डिकी पारित की जावें एवं उसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में बटवारा का अंकन किया जाकर पृथक–पृथक जगाबन्दी जारी की जायें। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जायें कि वह वादी की शान्तिपूर्ण कब्ज काश्त काश्त में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेत कर बाधा कारित नही करें ऐसा कार्य प्रतिवादीगण न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधी से करवायें एवं प्रतिवादी कम संख्या 25 लगायत 27 को जये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावें की न्यायालय की अनुमति के बिना राजस्व रिकॉर्ड मे किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नही करें। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का विधिवत् बटवारा कर उसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। दौराने वाद प्रतिवादीगण वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि से वादी को अवैधानिक रूप से बेदखल कर देते हैं तो वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह जर्ये आदेशात्मक आज्ञा अपने कब्ज काश्त को पुनः प्राप्त करें।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया किया गया। दिनांक 20.07.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 21 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने प्रथम अपील इस न्यायालय में मियाद बाहर प्रस्तुत की। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 24, 26 को सम्मन नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किये एक माह से अधिक का समय हो जाने से तामील मानी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 24, 26 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 25 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 24 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय मियाद अधिनिमय मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुई देरी को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रार्थी अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 दी0प्र0स0 में दिनांक 20.07.2022 को निर्णय पारित किया गया जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी को दिनांक 13.09.2022 को उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त हो सकी और प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के पश्चात् प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय की अपील तैयार करवाकर श्रीमान के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर अनावश्यक विलम्ब नहीं किया गया है। फिर भी प्रार्थी द्वारा न्यायहित में धारा 5 परिसीमा अधिनियम का यह प्रार्थना–पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्त मे प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील मे हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 7 नियम 11 के आधार पर खारिज किया गया है, जबकि प्रकरण में विधि एवं तथ्य के मिश्रित बिन्दु विद्यमान है। अतः न्यायहित मे प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील मे हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि कृषि भूमि खाता संख्या नया 120 पुराना 11 खसरा संख्या 592 01 रकना 1 बीघा, खरारा संख्या 594 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, खसरा संख्या 595 रकबा 2 बीघा, खरारा (संख्य 597 रकबा 18 विस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 5 बीघा 8 विस्वा कृषि भूमि खाता संख्या नया 121 पुराना 12 खसरा संख्या 621 रकबा 1 बीघा 07 विस्वा खसरा संख्या 622 रकबा 15 बिरवा, खसरा संख्या 623 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, खरारा संख्या 624 रकबा 3 बिस्वा खसरा संख्या 625 रकबा 04 निरवा, खसरा संख्या 626 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल खसरा संख्या 6 बीमा 7 विस्वा कृषि भूमि खाता संख्या नया 122 पुराना 13 खसरा संख्या 596 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा, खसरा संख्या 613 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 614 रकबा 1 बिस्वा खसरा संख्या 615 रकबा 02 बिस्वा खसरा संख्या 617 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा, खसरा संख्या 638 रकबा 2 बीघा कुल खरारा 6 कुल रकबा 7 बीघा 11 बिरवा, कृषि भूमि खाता संख्या नया 12 पुराना 10 खसरा संख्या 618 रकवा 07 बिस्वा कुल खसरा 1 कुल रकबा 07 बिस्वा वाके ग्राम गुढ़ा पटवार हल्का गुढा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित हैं। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में अपीलाण्ट एवं विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 24 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं। मृतक कजोड एवं कालू दोनों आपस में सर्गे भाई थे तथा कजोड जी के देहान्त के पश्चात उनके वारिसान चार पुत्र कमश मांगीलाल, दुर्गालाल, कैलाश, रामलक्ष्मण, तीन पुत्रियाँ कमश प्रेम, पार्वती, नर्मदा हैं जिनमें से रामलक्ष्मण व नर्मदा का देहाना हो चुका है एवं उनमें मृतक रामलक्ष्मण के वारिसान में तीन पुत्र भोलाशंकर, रमेश, घासी, चार पुत्रियों कमश शीला, राजेश, छोटा, मोना, एवं बेना कंचनवाई तथा मृतक नर्मदा के वारिसान में एक पुत्र दुर्गालाल, तीन पुत्रियों क्रमश शान्ति, शीला, चन्द्रकला है। चरण संख्या में वर्णित कृषि भूमि रकबा 05 बीघा 8 विरवा कृषि भूमि रकना 06 गीधा 07 बिस्वा कृषि भूमि कना 07 बीघा 14 बिस्वा को कजोड जी के चारों पुत्र व उनके वारिसान अपीलाण्ट एवं विपक्षीगण संख्या लगायत 12 ने मोके पर पारिवारिक बटवारा करके बराबर–बराबर हिस्सा 1/41/4 में विगत 50 वर्षो से काश्त करते चले आ रहे है। खसरा संख्या 618 रकवा 07 बिस्वा में विस्थित बुआ का उपयोग राभी काश्तकार अपने–अपने हिस्से के अनुसार सिंचाई कार्य हेतु करते चले आ रहें। खसरा संख्या 618 में खातेदार लक्ष्मण आत्मज श्री महादेवा, माना आत्मज श्री गिरधारी, मंगल, काशीनाथ, विश्वनाथ पिसरान गणेशराम, रागकन्या देवा माधोलाल, नारायण आत्मज श्री ग्यारसीराम, धूली देवा गोपाल का देहाना हो चुका है। खातेदार लक्ष्मण, माना, मंगल, काशीनाथ, विश्वनाथ, रामकन्या, घुली बिना विधिक वारिशान के फोत हो चुके है तथा मृतक नारायण के एक गोद पुत्र बालू जी थे जिनका भी देहान्त हो चुका है तथा उनके जीवित वारिसान विपक्षी संख्या 24, 25 सूरजमल, छोटूलाल है। चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या नया 120 पुराना 11 खसरा संख्या 592 रकबा 1 बीघा, खसरा संख्या 594 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, खसरा संख्या 595 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्य 597 रकबा 18 विस्था कुल खसरा 4 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा में मृतक कजोड जी का 1/2 व मृतक कालू जी का 1/2 हिस्सा, कृषि भूमि खाता संख्या नया

121 पुराना 12 खसरा संख्या 621 रकबा 1 बीघा 07 विस्वा, खसरा संख्या 622 रकबा 15 विस्वा खसरा संख्या 623 रकबा 1 बीघा 08 विस्वा, खसरा संख्या 624 रकबा 3 बिस्वा खसरा संख्या 625 रकबा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 626 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल खरारा 6 कुल खसरा संख्या 6 बीघा 7 बिस्वा में मृतक कजोड जी का 1/2 व मृतक कालू जी का 1/2 हिस्सा, कृषि भूमि खाता संख्या नया 122 पुराना 13 खरारा संख्या 596 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा खसरा संख्या 613 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 614 रकबा 1 बिस्वा खसरा संख्या 615 रकबा 02 विस्वा, खसरा संख्या 617 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा खसरा संख्या 638 रकबा 2 बीघा कुल खरारा 6 कुल रकवा 7 बीघा 11 बिस्वा में मृतक कजोड जी का 1/4 व मृतक कालू जी का 1/4 हिस्सा, कृषि भूमि खाता संख्या नया 12 पुराना 10 खसरा संख्या 618 रकबा 07 बिस्वा कुल खसरा 1 कुल रकबा 07 विस्वा में 1/4 हिस्से में से मृतक कजोड जी का 1/3 व मृतक कालू जी का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार निहित हैं। 04 यहकि उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 21 श्योजीलाल – आत्मज श्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम तुरकडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान ने के०सी०सी० लोन प्राप्त करने हेतु धारा 6 (1) का प्रारूप बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया और श्योजीलाल के पक्ष में के०सी०सी० लोग स्वीकृत किया गया। श्योजीलाल द्वारा खातेदार कालू आत्मज श्री गेन्दीलाल के साथ धोखाधडी करतें हुए फर्जी दस्तावेज तैयार करके बख्शीशनामा हकत्याग पत्र अपने नाम निष्पादित करवाकर उसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि कालू जी ने अपनी स्वेच्छा से श्योजीलाल के पक्ष में कोई बख्शीशनामा या हकत्याग पत्र निष्पादित नहीं किया और कालू जी ने उक्त कृषि भूमि में अपने हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि को अपने बड़े भाई कजोड के चारों पुत्रों मांगीलाल, दुर्गालाल, कैलाश, रामलक्ष्मण को बराबर–बराबर चार हिस्सों में दिया हैं जिसके सम्बन्ध में दिनांक 13.07.2014 को कालू जी द्वारा पारिवारिक समझौता पत्र भी लिखा गया और कालू जी के हिस्से की जमीन पर वर्तमान में मांगीलाल, दुर्गालाल, कैलाश, रामलक्ष्मण काबिज काश्त है। रामलक्ष्मण जी का देहाना हो चुका है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान काबिज काश्त चले आ रहे हैं। श्योजीलाल ने उक्त कृषि भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में हल्का पटवारी के साथ मिलीभगत करके गलत रिपोर्ट तैयार करवाई और तथ्यों को छिपाकर बैंक से के०सी०सी० लोन प्राप्त कर राशि को हडपने का प्रयास किया। विपक्षी कैलाश ने इस सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता की ओर से एक लिगल नोटिस जये डाक दिनांक 17.02.2017 को श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली, श्रीमान् उप पंजीयक अधिकारी हिण्डोली, श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय बून्दी को भिजवाया। सन्दर्भ मे अमीलाण्ट दुर्गालाल की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2017 को श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बाईपास रोड, बून्दी राजस्थान के रामा व्यक्तिगत रूप से एवं कोरियर से गिजनाई किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद भी जर्ये नामान्तकरण संख्या 804 दिनांक 21.02.2017 से राजस्व रिकॉर्ड में श्योजीलाल के हिस्रों की कृषि भूमि को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बाईपास रोड बून्दी के मु०वि०क० दर्ज कर दिया गया। जिस पर अपीलाण्ट एवं

उसके परिजनों ने इस सम्बन्ध में बैंक प्रशासन से शिकायत की तो बैंक प्रशासन द्वारा अपीलाण्ट व उसके परिजनों के साथ अग्रतापूर्ण व्यवहार किया और झूठे मुकदमों में जेल भिजवा देने की धमकिया दी गई तथा कहा गया कि हम तो लोन की राशि श्योजीलाल को देकर रहेगें तुम्हारे गर्जी में आये जो कानूनी कार्यवाही करो। श्योजीलाल द्वारा जिस भूमि को मिलीभगत करके अपने नाम पर लिया गया है उस भूमि पर श्योजीलाल द्वारा कभी भी कब्जा काश्त नही किया गया है और आज भी उक्त भूमि पर मृतक कालू की इच्छानुसार उनके भाई कजोड के चारों पुत्र काबिज काश्त है। अपीलाण्ट दुर्गालाल की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2017 को शाखा प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बाईपास रोड बून्दी को तथा प्रतिलिपी सूचनार्थ श्रीमान् महाप्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर राजस्थान, श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, वृन्दी राजस्थान, श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान को भेजकर निवेदन किया कि श्योजीलाल के पक्ष में लोन राशि जारी न की जावें और राजस्व रिकॉर्ड में से श्योजीलाल के पक्ष में लगाया गया मु०वि०क० का नोट हटाया जायें। मृतक कालू जी ने अपनी स्वेच्छा से श्योजीलाल के पक्ष में कोई बख्शीशनामा या हकत्याग पत्र का निष्पादन नही किया और श्योजीलाल ने कालू जी के साथ धोखाधडी करके फर्जी दस्तावेज तैयार करवा कर उनका पंजीयन दिनांक 12.08.2016 को पंजीयन कार्यालय हिण्डोली के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके अपने पक्ष में पंजीयन करवा लिया तथा राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि इस बात की जानकारी होने पर दिनांक 14.02.2017 को कालू जी ने 500/– रूपयें के एक नॉन ज्युविश्यल स्टाम्प पर एक इकरारनामा निष्पादित किया जिसमे कालू जी ने कहा हैं कि उनके हिस्से की भूमि को कजोड जी के चारों पुत्र बराबर–बराबर हिस्से में काश्त करेंगें तथा श्योजीलाल ने धोखे से उनसे दस्तावेज तैयार करवायें हैं। कालू जी का दिनांक 22.02.2017 को देहान्त हो चुका हैं। 10 यहकि विपक्षी श्योजीलाल ने कालू जी के साथ धोखाधडी करते हुये उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर उनके हिस्से की कृषि भूमि को षड्यन्त्र करके अपने नाम करवा लिया है तथा उक्त भूमि पर के०सी०सी० का लोन प्राप्त करके लोन राशि को हडप जाना चाहता है तथा उक्त भूमि को भारग्रस्त कर दिया है जबकि उक्त भूमि पर श्योजीलाल का कभी कब्जा भी नही रहा है तथा न ही मन में कन्जा है एवं के०सी०सी० के लोन को जारी करने हेतु भूमि पर काश्तकार का कब्जा आवश्यक रूप से होना चाहिए एवं कब्जे के सम्बन्ध मे रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जाती है। विपक्षी श्योजीलाल का उक्त कृत्य आपराधिक श्रेणी में आता है तथा उसके इस आपराधिक कृत्य मे अन्य जिम्मेदार लोगो ने भी उसका सहयोग किया है। अपीलांट को जानकारी होने के बाद दादी ने कानूनी कार्यवाही करते हुये दिनांक 14.03.2017 को एक लिखित रिपोर्ट जये कोरियर श्रीमान्जिला पुलिस अनरीक्षक महोदय वृन्दी को भिजवाई गयीं। विपक्षी श्योजीलाल ने ग्राम पंचायत गुदा के साथ मिलीभगत करके अवैध बख्शीशनामा के आधार पर चरण संख्या में वर्णित कृषि भूमि में नामान्तरण संख्या 800 दर्ज करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। ग्राम पंचायत गुढा ने भी चरण संख्या 1 में

वर्णित कृषि भूमि के सहखातेदारों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरण दर्ज कर कानूनी प्रावधानों की अवहेलना की है। ग्राम पंचायत गुढ़ा का उक्त नामान्तरण विधि सम्मत नहीं होने से अवैध होने के कारण खारिज होने योग्य हैं। नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व ग्राम पंचायत का यह विधिक दायित्व था कि वह सभी सहखातेदारों को सुनवाई के लिए बुलाती और यदि किसी खातेदार को कोई आपत्ति होती तो उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपना निर्णय पारित करती किन्तु ग्राम पंचायत की ओर से ऐसे विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अपीलाण्ट ने उक्त नामान्तरण संख्या 800 को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत गुढा के चक्कर लगाये और काफी चक्कर लगाने के पश्चात् अमीलाण्ट को दिनांक 16.03.2017 को तहसील कार्यालय हिण्डोली से अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरण संख्या 800 की नकल जारी की गई हैं। अपीलाण्ट की ओर से एक अपील माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय बून्दी के यहाँ पर नामान्तरण निरस्त किये जाने हेतु पेश कर दी गई। 14 यह कि अपीलाण्ट द्वारा अपने विधिक अधिकारों के सम्बन्ध मे विधिक प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान के समक्ष राजस्व वाद अधिकार घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, बँटवारा कृषि भूमि आदेशात्मक आज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सपठित धारा 151 दी0प्र0सं0 1908 में प्रस्तुत किया जहाँ विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 में प्रस्तुत किया गया जिस पर सुनवाई के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाण्ट के बाद को दिनांक 20.07.2022 को निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय दिनांक 20.07.2022 विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जानें योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय में विधि सिद्धान्तों का न्यायिक विवेक से पालन नहीं किया है। अपीलाण्ट का वाद शुद्ध रूप से राजस्व प्रकृति का वाद हैं तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हैं कि राजस्व अधिकारों के सम्बन्ध में अधिकारों के निर्धारण का प्रथम अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होनें से निरस्त कियें जानें योग्य हैं। अपीलाण्ट को अपने बाद के निरस्त होने की जानकारी होने पर अपीलाण्ट ने उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपीलाण्ट को दिनांक 13.09.2022 को उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त हो सकी। प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से अपीलाण्ट की अपील अवधि मध्य है फिर भी अपीलाण्ट धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण से सम्बन्धित शेष तथ्य मौखिक बहस के समय श्रीमान् के समक्ष निवेदन किये जावेगें । अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील को निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलवाना पर श्रीमान् के न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2019 डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 115, 2019 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 123, 2019(2) डी.एन.जे.(राज.) पेज 764, 2019(2) डी.एन.जे.(राज.) पेज 766, 2018(4) डी.एन.जे.(राज) पेज 1374 प्रस्तुत किये। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.07.2022 को निरस्त किये जाने तथा

अपीलाण्ट के वाद को विधि अनुसार सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण–पत्र की है जिसमें मृतक का नाम कालूलाल शर्मा तथा मृत्यु की दिनांक 22.02.2017 अंकित है। फोटोप्रति नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम गुढ़ा तहसील हिण्डोली की है जिसके अुनसार नामान्तरकरण संख्या 800 से खाता संख्या 120, 121, 122, 12 में अंकित आराजीयात में कालू पि. गेन्दीलाल कोम ब्राहम्ण सा. तुरकडी के स्थान पर शोजीलाल पि. मांगीलाल का कमशः 1/2, 1/2, 1/4, 1/16 हिस्सा दर्ज होना अंकित है। फोटोप्रति पंजीकृत बक्षीसनामा दिनांक 12.08.2016 की है। फोटोप्रति शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बाईपास रोड बून्दी को सम्बोधित प्रार्थना–पत्र की है। फोटोप्रति 6(1) के अधीन घोषणा की है। फोटोप्रति इकरारनामा दिनांक 14.02.2017 की है। जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 की है जिसके अनुसार ग्राम गुढ़ा तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 120 में दर्ज खसरा संख्या 592, 594, 595, 597 किता 4 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि खातेदार मांगीलाल दुर्गालाल कैलाश पि. कजोड प्रेम पार्वती पुत्रियां कजोड़ भोलाशंकर रमेश घासी पि. रामलक्ष्मण शीला राजेश छोटा मोना पुत्रियां रामलक्ष्मण कंचन बेवा रामलक्ष्मण कोम ब्राहम्ण सा.तुरकडी हि. 6/14 दुर्गालाल पि. मूलचन्द शान्ति शीला चन्द्रकला पुत्रियां मूलचन्द हि. 1/14 कालू पिता गेन्दीलाल हि. 1/2 कौम ब्राहम्ण सा. तुरकडी खाते. दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में नामा. स. 800 नि.दि. 09.09.2016 हकत्याग से बक्षीसनामा से कालू के स्थान पर बक्षीसग्रहीता शोजीलाल पि. मांगीलाल का हि. 1/2 कोम ब्राहम्ण सा. तुरकडी खाते दर्ज होने का नोट अंकित है। जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 की है जिसके अनुसार ग्राम गुढ़ा तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 121 में दर्ज खसरा संख्या 621, 622, 623, 624, 625, 626 किता 6 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि खातेदार मांगीलाल दुर्गालाल कैलाश पि. कजोड प्रेम पार्वती पुत्रियां कजोड़ भोलाशंकर रमेश घासी पि. रामलक्ष्मण शीला राजेश छोटा मोना पुत्रियां रामलक्ष्मण कंचन बेवा रामलक्ष्मण कोम ब्राहम्ण सा.तुरकडी हि. 6/14 दुर्गालाल पि. मूलचन्द शान्ति शीला चन्द्रकला पुत्रियां मूलचन्द हि. 1/14 कालू पिता गेन्दीलाल हि. 1/2 कौम ब्राहम्ण सा. तुरकडी खाते. दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में नामा. स. 800 नि.दि. 09.09.2016 हकत्याग से बक्षीसनामा से कालू के स्थान पर बक्षीसग्रहीता शोजीलाल पि. मांगीलाल का हि. 1/2 कोम ब्राहम्ण सा. तुरकडी खाते दर्ज होने का नोट अंकित है। जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 की है जिसके अनुसार ग्राम गुढ़ा तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 122 में दर्ज खसरा संख्या 596, 613, 614, 615, 617, 638 किता 7 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि खातेदार मांगीलाल दुर्गालाल कैलाश पि. कजोड प्रेम पार्वती पुत्रियां कजोड़ भोलाशंकर रमेश घासी पि. रामलक्ष्मण शीला राजेश छोटा मोना पुत्रियां रामलक्ष्मण कंचन बेवा रामलक्ष्मण कोम ब्राहम्ण सा.तुरकडी हि. 6/28 दुर्गालाल पि. मूलचन्द शान्ति शीला

चन्द्रकला पुत्रियां मूलचन्द हि. 1/28 कालू पिता गेन्दीलाल हि. 1/4 गोंराबाई बेवा उदयलाल बिरधीलाल सूरजमल राजमल मोहनलाल पिता उदयलाल हि. 1/2 कौम ब्राहम्ण सा. तुरकडी खाते. दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में नामा. स. 800 नि.दि. 09.09.2016 हकत्याग से बक्षीसनामा से कालू के स्थान पर बक्षीसग्रहीता शोजीलाल पि. मांगीलाल का हि. 1/4 कोम ब्राहम्ण सा. तुरकडी खाते दर्ज होने का नोट अंकित है। जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 की है जिसके अनुसार ग्राम गुढ़ा तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 12 में दर्ज खसरा संख्या 618 की रकबा 7 बिस्वा भूमि खातेदार कजोड़ कालू पिता गेन्दीलाल उदय लालु पिता कल्याण हि. 1/4 हि.ब. लछमण आ. महादेवा माना आ. गिरधारी हि. 1/4 मंगल काशीनाथ विश्वनाथ पिता गनेशराम हि. 1/8 नारायण आ. ग्यारसीराम मु. धूली बेवा गोपाल हि. 1/4 सा. झोपड़िया हि. ब. खाते. दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में नामा. स. 800 नि.दि. 09.09.2016 हकत्याग से बक्षीसनामा से कालू के स्थान पर बक्षीसग्रहीता शोजीलाल पि. मांगीलाल का हि. 1/16 कोम ब्राहम्ण सा. तुरकडी खाते दर्ज होने का नोट अंकित है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 से 21 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय मुख्यतः क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर वाद वादी खारिज किया। इस सम्बंध में हमने आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन किया। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इस प्रकार है, "वाद–पत्र नामंजूर किया जाना– वाद–पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा–(क) जहॉ दावा वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है। (ख) जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।(ग) जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद–पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी ने अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है। (घ) जहॉ वाद–पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। [(ड) जहॉ वाद दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।] [(च) जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों की अनुपालना में असफल रहता है।] [परन्तु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढ़ाने से इन्कार किए जाने से वादी के प्रति गम्भीर अन्याय होगा।]" अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधान का विवेचन नहीं किया तथा वाद में प्रारंभिक स्तर पर ही वाद खारिज कर दिया। वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सपठित धारा 151 दीवानी प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया। वादी ने वाद के बिन्दु संख्या 17 में प्रश्नगत बक्षीसनामा को प्रारंभ से ही शून्य होने का कथन किया है तथा वाद

के बिन्दु संख्या 19 में वादी द्वारा चाहा गया मुख्य अनुतोष राजस्व से सम्बंधित होने का कथन किया है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष इस प्रकार है, "वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्नलिखित आशय की डिक्री पारित किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें– 01–यह कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाकर वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में मृतक कालू जी के स्वामित्व, खातेदारी अधिकार की सम्पूर्ण कृषि भूमि में कब्जे काश्त, कालू जी द्वारा निष्पादित किये गये दस्तावेज दिनांक 13.07.2014 व दिनांक 14.02.2017 के आधार पर वादी को 1/4, प्रतिवादी कम संख्या 1 को 1/4, प्रतिवादी कम संख्या 2 को 1/4, प्रतिवादी कम संख्या 5 लगायत 12 को 1/4 कृषि भूमि का खातेदार घोषित कर अधिकार घोषणा की डिक्री पारित की जावे एवं उसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा का अंकन किया जाकर पृथक–पृथक जमाबन्दी जारी की जावे। 02–यह कि प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कर बाधा कारित नहीं करे ऐसा कार्य प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधी से करवाये एवं प्रतिवादी कम संख्या 25 लगायत 27 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि न्यायालय की अनुमति के बिना राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करे। 03–यह कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का विधिवत् बंटवारा कर उसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। 04–यह कि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि से वादी को अवैधानिक रूप से बेदखल कर देते है तो वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह जर्ये आदेशात्मक आज्ञा अपने कब्जा काश्त को पुनः प्राप्त करे। 05–यह कि वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलाई जावे।" उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विधि अनुसार कृषि भूमि पर अधिकार घोषणा का अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। अधिकारिता का प्रश्न वादपत्र के अभिवचनों तथा वादपत्र के सार रूप को समझकर तय किया जाना उचित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 व तृतीय अनुसूचि के प्रकाश में हस्तगत वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। हस्तगत प्रकरण की आदेशिका पर अंकित निर्णय के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिस प्रश्नगत बक्शीशनामा को आधार बनाकर वाद खारिज किया है, उस बक्शीशनामा की दिनांक 21.02.2017 अंकित की है जबकि वास्तव मे रजिस्टर्ड बक्शीशनामा की दिनांक 12.08.2016 है। इस सम्बंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत 2019 डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 115 महत्वपूर्ण है। माननीय उच्चतम न्यायालय के मतानुसार "claimant must first approach the Revenue court&-Claim of the appellant to khatedari rights is pending for adjudication before a Revenue Court- Appellant has no right to seek relief before the Civil Court till granting of the khatedari rights" उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में हस्तगत अपील को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में वाद के प्रारंभिक स्तर पर ही आदेश 7 नियम 11 सी.पी.

सी. के आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया। हमारे मत मे प्रश्नगत बक्शीशनामा को प्रथम तनकी बनाकर भी क्षेत्राधिकार का प्रश्न निर्णित किया जा सकता है। हस्तगत वाद में विधि एंव तथ्य के मिश्रित प्रश्न अंतर्निहित है, जिन्हे पक्षकारान से साक्ष्य आदि लेकर निर्णित किया जाना उचित होगा। रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, अतः रेस्पोडेन्टगण की ओर से कोई खण्डन भी प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.07.2022 विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण नियमानुसार सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 24/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 20.07.2022 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत रूप से नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.2023 को उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 15.09.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा